यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय प्रभारी च कत्सा अ धकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, धौलादेवी, अल्मोड़ा द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय प्रभारी च कत्सा अ धकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, धौलादेवी, अल्मोड़ा के माह 10/2015 से 05/2017 के लेखा-अ भलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री संजय कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी, श्री पवन कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी तथा श्री प्रमोद कुमार चौधरी, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा श्री राकेश कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के आं शक पर्यवेक्षण में दिनांक 07.06.2017 से 12.06.2017 तक सम्पादित की गयी।

<u>भाग-I</u>

1). <u>परिचयात्मकः</u> इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री वनीत निगम, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी, श्री अरिन्दम चटर्जी, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी एवं श्री वरेन्द्र संह, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 28.10.2015 से 31.10.2015 तक श्री प्रेमचन्द, लेखापरीक्षा अ धकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2012 से 09/2015 तक के लेखा-अ भलेखों की जांच की गयी थी।

2). (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः कार्यालय प्रभारी च कत्सा अ धकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, धौलादेवी, अल्मोड़ा का भौगो लक अ धकार क्षेत्र सम्पूर्ण वकास खण्ड धौलदेवी है । सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा सामान्य च कत्सा, प्रसव सु वधा एवं आपातकालीन च कत्सा सु वधा उपलब्ध करायी जाती है ।

(अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अवशेष			
							स्थापना		गैर स्थापना	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आ धक्य (+)	बचत	आ धक्य (+)	बचत
2014-15	0	0	122.09	118.06	219.04	213.03	0	4.03	0	6.01
2015-16			127.79	127.79	257.06	257.06	0	0	0	0
2016-17			118.98	118.98	226.10	226.10	0	0	0	0

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

(में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	अ धक्य(+)/ बचत(-)	ब्याज
2012-13	--	--	--	--	--	--
2013-14	--	--	--	--	--	--
2014-15	--	--	--	--	--	--
2015-16	--	--	--	--	--	--
2016-17	--	--	--	--	--	--

(ii) इकाई को बजट आवंटन राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई 'स' श्रेणी की है।

वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

1). प्रमुख स चव, च कत्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखंड, देहरादून
2). महानिदेशक- च कत्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखंड, देहरादून
3). निदेशक- च कत्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखंड, नैनीताल
4). मुख्य च कत्सा अ धकारी
5). अतिरिक्त मुख्य च कत्सा अ धकारी
6). प्रभारी च कत्सा अ धकारी

(iii) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः वर्तमान लेखापरीक्षा, वगत लेखापरीक्षा 10/2015 से 05/2017 तक की अव ध को आच्छादित करते हुए कार्यालय प्रभारी च कत्सा अ धकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, धौलादेवी, अल्मोड़ा के लेखा-अ भलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयी यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय प्रभारी च कत्सा अ धकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, धौलादेवी, अल्मोड़ा की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 08/2016 एवं 05/2017 को वस्तृत जांच हेतु चयनित कया गया प्रतिचयन अ धकतम व्यय के आधार पर कया गया।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग- 2(ब)</u>

प्रस्तर-1 **:-** जननी सुरक्षा योजना के क्रयान्वयन में रु 13.30 लाख का अनिय मत भुगतान कया जाना ।

जननी सुरक्षा योजना की ऑपरेशनल गाइडलाइंस के अनुसार प्रसव की संभा वत ति थ से 16 से 20 सप्ताह पूर्व प्रत्येक लाभार्थी हेतु जेएसवाई कार्ड भरा जाना चाहिए एवं सभी वांछित दस्तावेजों सहित उक्त कार्ड प्रसव की संभा वत ति थ से 2 सप्ताह पूर्व संबन्धित स्वास्थ्य केन्द्र के अ धकृत च कत्सा धकारी के पास सत्यापन हेतु प्रस्तुत कया जाना चाहिए ता क लाभार्थी को स्वास्थ्य केन्द्र से डस्चार्ज करते समय उसको चैक प्रदान कया जा सके एवं लाभार्थी को च कत्सालय से डस्चार्ज करते समय अनिवार्य रूप से उसे देय धनरा श का भुगतान कर दिया जाना चाहिए। प्रसव से सात दिन पूर्व अथवा सात दिन पश्चात कया गया भुगतान अवैध माना जाएगा।

प्रभारी च कत्सा अ धकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, धौलादेवी, अल्मोड़ा द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार अव ध वगत लेखापरीक्षा 10/2015 से 05/2017 तक *जननी सुरक्षा योजना* के अंतर्गत कुल 1048 लाभा र्थयों को रुपये 13,30,000/- का भुगतान कया गया । अ भलेखों की संवीक्षा में पाया गया क शत-प्रतिशत प्रकरणों में JSY कार्ड प्रसव के पश्चात भरे गये थे, एवं लाभा र्थयों के आई डी प्रूफ भी JSY कार्ड के साथ संलग्न नहीं कये गए थे । आगे, नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया क 44 लाभा र्थयों को प्रसव की ति थ से 10 से 73 दिन की देरी से चेक जारी कये गए थे । इस प्रकार गाइड लाइन्स का उल्लंघन करते हुए योजना के अंतर्गत रुपया 13,30,000/- की धनरा श का अनिय मत व्यय कया गया ।

इस सन्दर्भ में लेखापरीक्षा में इं गत कये जाने पर प्रभारी च कत्सा अ धकारी ने लेखापरीक्षा आप त्त को स्वीकार करते हुए कहा क भ वष्य मे सुनिश्चित कया जाएगा; धनरा श उपलब्ध न होने के कारण देरी से भुगतान कया गया अ पतु भ वष्य मे समय से भुगतान सुनिश्चित कया जाएगा एवं भ वष्य मे केवल लाभार्थी को ही चैक प्रदान कया जाएगा । उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्यों क राज्य में योजना के कार्यान्वयन के 12 वर्ष (April 2005) बीत जाने के बाद भी च कत्सा धकारी JSY की कार्यान्वयन दिशा-निर्देशों के प्रति जागरुक नहीं, एवं दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए अनिय मत रूप से लाभा र्थओं को भुगतान कया जा रहा था ।

अत: प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग- 2(ब)

प्रस्तर- 2:- धनरा श रु 13.10 लाख का अनिय मत भुगतान कया जाना ।

कार्यालय महानिदेशक, च कत्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या- 2प/ रा0पु0/ 23/ 2014/ 12665 देहरादून दिनांक- 10 जून 2016 द्वारा पठित शासनादेश संख्या- 684/ xxviii.3-2016-76/ 2015 दिनांक 03.06.2016 में व र्णत है कया च कत्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण वभाग में नियुक्त ऐसे का र्मक जो अपने मूल तैनाती स्थान से अन्यत्र सम्बद्ध कये गए हैं, का सम्बद्धीकरण तत्काल रूप से समाप्त की जाए।

कार्यालय प्रभारी च कत्सा अ धकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, धौलादेवी, अल्मोड़ा के लेखा-अ भलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया क श्री राजेश कुमार कर्नाटक, फार्मा सस्ट एवं श्री जितेंद्र संह देवड़ी, फार्मा सस्ट की मूल तैनाती स्थान क्रमश: उपकेंद्र तापनी, धौलादेवी, एवं उपकेंद्र मकडाऊ, अल्मोड़ा है जब क उन्हें कार्यालय प्रमुख अधीक्षक, बेस च कत्सालयए अल्मोड़ा में सम्बद्ध कया गया है एवं उनके वेतन एवं भत्ते सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, धौलादेवी, अल्मोड़ा से अनिय मत रूप से आहरित कये जा रहे थे।

उपरोक्त शासनादेश संख्या- 684/ xxviii.3-2016-76/ 2015 दिनांक 03.06.2016 के अनुसार श्री राजेश कुमार कर्नाटक, फार्मा सस्ट एवं श्री जितेंद्र संह देवड़ी, फार्मा सस्ट को उनकी वर्तमान तैनाती कार्यालय प्रमुख अधीक्षक, बेस च कत्सालयए अल्मोड़ा से उनके मूल तैनाती स्थान क्रमश: उपकेंद्र तापनी, धौलादेवी, अल्मोड़ा एवं उपकेंद्र मकडाऊ, अल्मोड़ा में वापस लए जाने के बजाय जुलाई 2016 से मई 2017 तक "संलग्नक- A एवं संलग्नक- **B**' ववरण के अनुसार कुल धनरा श रु 653902 + 655902 = 13,09,804/- का भुगतान बोनस, वेतन एवं भत्ते के रूप में कार्यालय प्रभारी च कत्सा अ धकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, धौलादेवी , अल्मोड़ा द्वारा कया जा चुका था ।

इस सन्दर्भ में लेखापरीक्षा में इं गत कये जाने पर प्रभारी च कत्सा अ धकारी ने लेखापरीक्षा आप त को स्वीकार करते हुए कहा क हाँ उक्त उपकेन्द्रों पर फार्मा सस्ट के स्वीकृत पद हैं । उक्त उपकेंद्र वकास खण्ड के दूरस्थ क्षेत्र मे स्थित है जहां कोई च कत्सक उपलब्ध न होने के कारण फार्मा सस्ट की तैनाती की गई थी ता क फार्मा सस्ट को क्षेत्र के लोगों को प्राथ मक उपचार उपलब्ध कराया जा सके, उक्त दोनों फार्मा सस्ट के उक्त उपकेन्द्रों पर तैनात न होने के कारण उक्त क्षेत्र के लोग प्राथ मक उपचार से वं चत हैं । इस प्रकरण मे उक्त का र्मकों की सम्बद्धता की समाप्ति हेतु मुख्य च कत्सा अ धकारी से पत्राचार कया जाएगा । उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्यो क शासनादेश संख्या- 684/ -3-2016-76/ 2015 दिनांक 03.06.2016 का उलंघन कया गया था ।

अतः धनरा श रु 13.10 लाख का अनिय मत भुगतान कये जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है ।

<u>संलग्नक- **A**</u>

श्री राजेश कुमार कर्नाटक, फार्मा सस्ट के वेतन विवरण :

माह का नाम	सकल वेतन	कटौतिया	शुद्ध वेतन
07 / 2016	54675	10650	44025
08 / 2016	54675	10650	44025
09 / 2016	54675	11190	43485
10 / 2016	54675	10650	44025
11 / 2016	54675	10650	44025
12 / 2016	54675	10650	44025
01 / 2017	67552	19952	47560
02 / 2017	67552	12372	55180
03 / 2017	61656	8096	53560
04 / 2017	61656	8096	53560
05 / 2017	67436	8674	58762
	6,53,902/-	**1,21,630/-**	**5,32,232/-**

<u>संलग्नक- **B**</u>

श्री जितेंद्र संह देवड़ी, फार्मा सस्ट के वेतन विवरण :

माह का नाम	सकाल वेतन	कटौतिया	शुद्ध वेतन
07 / 2016	54675	10650	44025
08 / 2016	54675	10650	44025
09 / 2016	56675	11190	43485
10 / 2016	54675	10650	44025
11 / 2016	54675	10650	44025
12 / 2016	54675	10650	44025
01 / 2017	67552	19992	47560
02 / 2017	67552	12372	55280
03 / 2017	61656	8096	53560
04 / 2017	61656	8096	53560
05 / 2017	67436	8674	58762
	6,55,902/-	**1,21,670/-**	**5,32,332/-**

<u>भाग- 2(ब)</u>

प्रस्तर- **3:-** धनरा श रु **10.49** लाख के निष्प्रयोज्य साम ग्रयों की नीलामी न कया जाना कया जाना ।

सामान्य वत्तीय नियम के नियम 192 के अनुसार वर्ष में कम से कम एक बार भण्डार का भौतिक सत्यापन कया जाना चाहिए एवं नियम 196 और 197 के अनुसार अनुपयोगी सामग्री को निष्प्रयोज्य घो षत कर उसकी यथाशीघ्र नीलामी की जानी चाहिए ता क उक्त सामग्री को और मूल्य ह्रास से बचाया जा सके

कार्यालय प्रभारी च कत्सा अ धकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, धौलादेवी, अल्मोड़ा के उपकरणों/ साम ग्रयों सम्बन्धी लेखा-अ भलेखों की नमूना जाँच में पाया गया क वर्ष 1997 से 2015 के मध्य क्रय कए गये कुल क्रय धनरा श रु **8,34,650/-** के फर्नीचर/ अन्य सामग्री (अनुलग्नक- A), निष्प्रयोज्य पाये गये थे I आगे, वर्ष 2010 से 2014 के मध्य कुल क्रय कए गये धनरा श रु **2,14,681/-** के च कत्सा उपकरण (अनुलग्नक- B) अ क्रयाशील पाये गये थे जो वशेषज्ञ, टेक्नी शयन न होने एवं अन्य कारणों से निष्क्रिय पड़े हुये थे I वशेषज्ञ व टेक्नी शयन के तैनाती हेतु कोई प्रयास नहीं कये गए, न ही उन च कत्सा उपकरणों को अन्य च कत्सालयों में जहाँ उनकी आवश्यकता होती, स्थानांतरित कया गया ।

इस सन्दर्भ में लेखापरीक्षा में इं गत कये जाने पर प्रभारी च कत्सा अ धकारी ने लेखापरीक्षा आप त को स्वीकार करते हुए कहा क उक्त सामग्री को नीलामी कर लेखापरीक्षा को प्रस्तुत कर दिया जायेगा ; उक्त सभी उपकरण बहुत पुराने एवं निष्प्रयोज्य हैं एवं उक्त उपकरणों को निष्प्रयोज्य कर नीलामी की कार्यवाही की जायेगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्यों क अनुपयोगी सामग्री को निष्प्रयोज्य घो षत कर उसकी यथाशीघ्र नीलामी कर उक्त साम ग्रयों को और मूल्य ह्रास एवं वभागीय प्राप्तियों की हानि से बचाया जाना चाहिये था ।

अत: प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है ।

अनुलग्नक- A

निष्प्रयोज्य सामग्री की सूची :

क्र. सं.	ववरण	अप्रयुक्त होने का वर्ष	निष्प्रयोज्य घो षत वर्ष	दर (रु)	संख्या	कुल मूल्य (रु)
1	रूम हीटर	2014	2014	2500	10	25000
2	फ्रिजर आई0एल0आर0	1997	1997	35000	2	70000
3	फोटो स्टेट मषीन	2014	2014	2800	1	2800
4	प्रिन्टर	2015	2015	15000	1	15000
5	रिवालविगं कुर्सी	1998	1998	3500	6	21000
6	रूम हीटर आफिस	2011	2011	2500	2	5000
7	अलमारी लोहा वाली बडी	2013	2013	6000	2	12000
8	व्हील चैयर	2013	2014	3700	2	7400
9	डिस्पेन्सरी टेबल	2002	2012	3000	1	3000
10	इन्वटर एवं बैटरी	2001	2012	18000	5	90000
11	आयरन बैड	1995	2007	2500	10	25000
12	रिवालविग स्टूल	1993	2004	900	4	3600
13	बाल्टी लोहे की	1992	2001	550	7	3850
14	बैड साइड लाकर	1991	2000	1300	10	13000
15	आलमारी लोह वाली छोटी	1996	2005	4000	2	8000
16	दरी	1998	2004	2500	12	30000
निष्प्रयोज्य वाहन						
क0स0	वाहन का नाम	पंजीकरण संख्या	कय तिथि	कय मूल्य	वर्तमान स्थिति	कुल मूल्य (रु)
1	Maruti Gypsy	U.P 01 3922	From C.M.O office almora	5,00,000	निष्प्रयोज्य	5,00,000
					योग =	**8,34,650/-**

अनुलग्नक-B

अ क्रयाशील उपकरणों की सूची :

क्र. सं.	च कत्सा उपकरण	क्रय ति थ & श्रोत	संख्या	दर (रु)	कुल मूल्य (रु)	निष्क्रिय होने का कारण
1	Nabuliser	01-04-2010 cmsd alm	1	2333	2333	अ क्रयाशील
2	Seterlizer	01-04-2010 cmsd alm	4	2790	11160	अ क्रयाशील
3	Auto Clav	01-04-2010 cmsd alm	1	13500	13500	अ क्रयाशील
4	Anesthisia Machine	01-04-2010 cmsd alm	1	86200	86200	निष्चेतक ना होने के कारण
5	Baby warmer	01-04-2010 cmsd alm	1	3200	3200	अ क्रयाशील
6	Grantor	01-04-2010 cmsd alm	1	22000	22000	अ क्रयाशील
7	ECG Machine	01-04-2010 cmsd alm	1	18860	18860	हदय रोग विषेशज्ञ ना होने के कारण
8	B.P Instrument	12-11-2010 Cmsd alm	4	1700	6800	अ क्रयाशील
9	Instrument sterilizer	01-04-2010 cmsd alm	4	2790	11160	अ क्रयाशील
10	Auto Clave (sterilizer –stove	01-04-2010 cmsd alm	2	8500	17000	अ क्रयाशील
11	Niddle syr-Dystoer	20-08-2014 cmsd alm	1	1668	1668	अ क्रयाशील
12	Infra red Lamp	28-02-2014 cmsd alm	4	650	2600	अ क्रयाशील
13	Shadow less lamp	16-02-2013 cmsd alm	1	18200	18200	अ क्रयाशील
				योग =	**2,14,681/-**	

भाग- 2(ब)

प्रस्तर- 4:- धनरा श रु **131.91** लाख की प्र वष्टि रोकड़ बही में न कया जाना ।

शासन के पत्रांक सं - 3/ (6)/ 2013, दिनांक 02 जनवरी 2013 के बिंदु संख्या 4.9 में ई-पेमेंट प्रणाली में दिए गये दिशा-निर्देशों के अनुसार 'आहरण एवं सं वतरण अ धकारी इन्टरनेट की सहायता से अपने देयकों की धनरा श सम्बं धत के बैंक खातें में अंतरण हो जाने के ववरण का प्रंट प्राप्त करेंगे तथा भुगतान सम्बं धत अ भलेखों - यथा 11 सी पंजिका, कैशबुक, बिल रजिस्टर आदि में इनके प्राप्त होने की प्र वष्टि यथा स्थान पर करेंगे इसके अतिरिक्त, Form BM- 05 में द्वारा सम्बं धत माह में कये गये लेनदेनों के सत्यापन हेतु स्पष्ट रूप से व र्णत है क "'Certified that all the drawals shown in the statement are correct except the followings ones (if any) which have not been made by me'' and ''Besides the above the following are also the drawals (if any) by me during the month which have not been shown in the statement.''

कार्यालय प्रभारी च कत्सा अ धकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, धौलादेवी, अल्मोड़ा की रोकड़बही की नमूना जाँच में पाया गया क वस्तृत जांच हेतु चयनित माह अगस्त 2016 एवं मई 2017 में ट्रेजरी द्वारा प्राप्त **Form BM- 5** के कुल रू **68,76,281 + 63,14,544 = 131,90,825/-** की आहरित सकल धनरा श (Gross Amount) को रोकड़ बही में नहीं दर्शाया गया था।

इस सन्दर्भ में लेखापरीक्षा में इं गत कये जाने पर प्रभारी च कत्सा अ धकारी ने लेखापरीक्षा आप त को स्वीकार करते हुए कहा क भ वष्य मे अनुपालन सुनिश्चित कया जाएगा उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्यो क शासन के पत्रांक सं - 3/ (6)/ 2013, दिनांक 02 जनवरी 2013 के दिशा-निर्देश का उलंघन कया गया था ।

अतः धनरा श रु 131.91 लाख की प्र वष्टि रोकड़ बही न कये जाने का का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

<u>भाग-**III**</u>

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-**II** 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-**II** 'ब' प्रस्तर संख्या	**STAN**	**TAN**
SS/ AIR- 113/ 2015- 16	**NIL**	1 & 2	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 & 11

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
SS/ AIR- 113/ 2015- 16	भाग- 2'ब' प्रस्तर सं- 1, 2 एवं STAN- 1 एवं TAN- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 & 11	अप्रस्तुत	यथावत रखा जाता हैI	--

<u>भाग-**IV**</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.... शून्य ....

भाग-V

आभार

1). कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु प्रभारी च कत्सा अ धकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, धौलादेवी, अल्मोड़ा तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गये:-

अप्रस्तुत अ भलेख: शून्य

2). सतत् अनिय मतताएः शून्य

3). लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया :

नाम	पदनाम	अव ध
डॉ0 बी.बी. जोशी	प्रभारी च कत्सा अ धकारी	वगत लेखापरीक्षा से अब तक

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति प्रभारी च कत्सा अ धकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, धौलादेवी, अल्मोड़ा को इस आशय से प्रे षत कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, सी- 1/105, वैभव पैलेश, इंदिरा नगर, देहरादून, 248006 को प्रे षत कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी